न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 54 / 2024

सन्दीप कुमार पुत्र राजकुमार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी पचेरीकला, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

प्रथम अपील अ. धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियाम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 12.06.2024 बअदालत तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सन्दीप कुमार शर्मा मुकदमा नम्बर 39 / 2024 अ0 धारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः—

1. श्री सुलतान बाकोलिया.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 26.5.25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि जमीन खसरा नम्बर 698 कुल रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी 2 में से रकबा 0.0066 हैक्टर भूमि पचेरीकला पर अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से टिनशैड बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माना राशि बाबत दिनांक 12.06.2024 को आलौच्य निर्णय पारित किया। मौजुदा प्रकरण में धारा 91 राज भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। जिस प्रकरण में सदभाविक कब्जा का प्रश्न हो ऐसे प्रकरण में समरी कार्यवाही के द्वारा किसी सदभाविक काबिज व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष हलका पटवारी द्वारा झुठी रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त जमीन जैर बहस में अपीलांट करीबन 40 वर्षो से उक्त जमीन का उपयोग—उपभोग कर रहा है। अपीलांट से पहले उक्त जमीन का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

उपयोग–उपभोग अपीलांट का पिता राजकुमार करता था। अपीलांट ने उक्त जमीन बाड़े में टीनशैड बना रखा है। पशु बांधता है व रिहायश करता है। उक्त जमीन के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई भूखण्ड नही है। अदालत मातहत ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअदांज किया है। हलका पटवारी भू–माफिया व्यक्तियों से मिला हुआ है तथा स्थानीय राजनेताओं के प्रभाव में है। उनके इशारें पर ही अपीलांट के खिलाफ धारा 91 राज भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिलवाया गया है। अपीलांट के भू–खण्ड के पास ही अन्य लोगों के भूखण्ड है तथा मकानात बने हुए है। उक्त भूमि घनी आबादी भूमि में है अपीलांट ने बिजली पानी का कनेक्शन भी ले रखा है। अतः अपील स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 12.06.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जमीन खसरा नम्बर 698 कुल रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी 2 में से रकबा 0.0066 हैक्टर भूमि पचेरीकला पर अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से टिनशैड बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माना राशि बाबत दिनांक 12.06.2024 को आलौच्य निर्णय पारित किया। मौजुदा प्रकरण में धारा 91 राज भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। जिस प्रकरण में सदभाविक कब्जा का प्रश्न हो ऐसे प्रकरण में समरी कार्यवाही के द्वारा किसी सदभाविक काबिज व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष हलका पटवारी द्वारा झुठी रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त जमीन जैर बहस में अपीलांट करीबन 40 वर्षो से उक्त जमीन का उपयोग–उपभोग कर रहा है। अपीलांट से पहले उक्त जमीन का उपयोग–उपभोग अपीलांट का पिता राजकुमार करता था। अपीलांट ने उक्त जमीन बाड़े में टीनशैड बना रखा है। पशु बांधता है व रिहायश करता है। उक्त जमीन के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई भूखण्ड नही है। अदालत मातहत ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअदांज किया है। हलका पटवारी भू–माफिया व्यक्तियों से मिला हुआ है तथा स्थानीय राजनेताओं के प्रभाव में है। उनके इशारें पर ही अपीलांट के खिलाफ धारा 91 राज भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिलवाया गया है। अपीलांट के भू–खण्ड के पास ही अन्य लोगों के भूखण्ड है तथा मकानात बने हुए है। उक्त भूमि घनी आबादी भूमि में है अपीलांट ने बिजली पानी का कनेक्शन भी ले रखा है।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2024 को अपास्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2024 मुकदमा संख्या 39/2024 उनवानी सरकार बनाम सन्दीप कुमार अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.5.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।